🔰आवश्यक जानकारी🔰

व.अ. से व्याख्याता पदोन्नति पर यथास्थान कार्यग्रहण करने बाबत आवश्यक जानकारी

1▪शिक्षा निदेशक के आदेश क्रमांक शिविरा-म/संस्था/सी-4/डीपीसी/पदस्थान/2021-22,2022-23/2024 दिनांक 20/12/2024 के निर्देशानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को यथास्थान दिनांक 23/12/2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

2▪पदोन्नति पर चयन तिथि से काल्पनिक वेतन का निर्धारण होगा एवं आर्थिक लाभ यथास्थान कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

3▪पदोन्नति पर यथास्थान कार्यग्रहण की सूचना (जोइनिंग रिपोर्ट) अपने नियंत्रण अधिकारी CBEO/DEO/JD आफिस के साथ निदेशालय की निम्न ईमेल id - so.csection@gmail.com पर भेजें।

4▪यदि कोई कार्मिक पदोन्नति का परित्याग (फोरगो) करना चाहता है तो फोरगो की लिखित में सूचना 23/12/2024 तक अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर देवें।

5▪कार्यालयाध्यक्ष फोरगो की एंट्री कार्मिक की सर्विस बुक में लाल स्याही से करें एवं फोरगो की सूचना निदेशालय को प्रेषित कर देवें।

6▪पदोन्नत कार्मिक लंम्बे समय से अनुपस्थित या निलम्बित है तो उसे कार्यग्रहण नही करवावें एवं उसकी सूचना निदेशालय को भेजें।

7▪किसी कार्मिक के विरुद्ध CCA 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो उस सम्बध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करे एवं प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

8▪माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंधित नियंत्रण/मण्डल अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि वे पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाते समय लोक सेवक से "संतान संबंधी घोषणा पत्र" प्राप्त करें एवं ऐसे लोक सेवक जिनकी 01.06.2002को या उसके पश्चात संतानोत्पति से संतानों की संख्या दो से अधिक है एवं उनकी पदोन्नति पूर्व में इससे प्रभावित नहीं हुई है, के "संतान संबंधी घोषणा पत्र" संबंधित मण्डल कार्यालय के माध्यम से समेकित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

नोट:-(1) पोस्ट अपकीं सुविधा के लिए बनाई गई है। कोई मतांतर होने पर विभागीय आदेश अनुसार कार्यवाही करावें।

(2)अभी पदोन्नत कार्मिक को यथास्थान रिलीविंग एवम जोइनिंग ऑफ लाइन ही करना है।

(3) पदोन्नति पर जॉइन करवाने से पूर्व कार्मिक की सम्बंधित विषय मे PG की अंक तालिका एवं पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु योग्यता सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लेवें।*

दिलीप कुमार

Rtd-RES

सादड़ी-पाली

www.teachersraj.com